

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
की योजनाओं में जहाँ है, जैसा है, के आधार पर सामुदायिक केन्द्रों को
किराये के आधार संचालन हेतु इच्छुक पंजी0फर्मों/संस्थाओं/आम
व्यक्तियों को निविदा पद्धति से दिये जाने हेतु विवरण—

विवरण पुस्तिकाएँ प्राप्त करने की अवधि : विज्ञापन के प्रकाशन के दिनांक से निविदा तिथि तक
निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक 28-01-2015 समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक
निविदा हेतु स्थान- विकास प्राधिकरण कार्यालय का समागार

क्र0 सं0	सामुदायिक केन्द्र का नाम	सामुदायिक केन्द्र का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	संचालन हेतु अवधि.	प्रथम वर्ष के लिये न्यूनतम आरक्षित धनराशि (लाख में)	10% धरोहर राशि (लाख रु0 में)
1.	सामुदायिक केन्द्र पाण्डवनगर पाकेट—एफ	4031.94	581.03	तीन वर्ष (उक्त अवधि में प्रति वर्ष रिन्युएबल)	15.00	1.50
2.	सामुदायिक केन्द्र पल्लवपुरम फेस—प्रथम पाकेट सी	1320.02	427.00	तीन वर्ष (उक्त अवधि में प्रति वर्ष रिन्युएबल)	15.00	1.50
3.	सामुदायिक केन्द्र गंगानगर पाकेट ओ	3000.00	785.00	तीन वर्ष (उक्त अवधि में प्रति वर्ष रिन्युएबल)	15.00	1.50

- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में मेरठ में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। सफल निविदादाता को निविदा आवेदन पत्र के स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से 15 दिन के अन्दर अवशेष धनराशि एवं स्थायी जमानत की धनराशि रुपये 1,00,000/- का पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। नियत अवधि में जमा न करने की दशा में स्वीकृति निरस्त करते हुए आवेदक की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- आयोजनकर्ताओं से प्रतिदिन की दर से ली जाने वाली अधिकतम धनराशि का उल्लेख करना अनिवार्य है।
- रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन/पंजीकृत फर्म, कम्पनी, समिति, संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा निविदा आवेदन पत्र के साथ स्वहस्ताक्षरित नियम-शर्तें व सोसायटी रजिस्ट्रेशन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता को निविदा-आवेदन पत्र में प्रस्तावित की गयी धनराशि के समतुल्य हैसियत एवं आचरण प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी द्वारा 6 माह के अन्दर निर्गत किया गया है, की प्रमाणित प्रति करना अनिवार्य होगा।
- विवरण पुस्तिका, आवेदन पत्र सहित प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdamsrerut.org.in) पर उपलब्ध है। विवरण पुस्तिका, उपयोग में लाने पर ₹ 500/- प्रति विवरण पुस्तिका का ड्राफ्ट पृथक से संलग्न करना होगा।
- सामुदायिक केन्द्रों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी मुख्य अभियन्ता एवं प्रभारी अधिकारी व्यवसायिक से किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

सचिव।

उपाध्यक्ष।